

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ (राज)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा सचिबि 2025 कैमा स्थल - बोळिया



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 223/25

दापर दिनांक 27.9.2025

निर्णय दिनांक 27.9.2025

| क्र.सं. | नाम- ग्राम | खान | रिपोर्ट | कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश |
|---------|------------|-----|---|---|
| 1 | बोळिया | 315 | <p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> | <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंथा स्वीकार की जाकर राज. भू.स. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>बोळिया</u> पर <u>बोळिया</u> खतासं. <u>315</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)</p> <p>कपासन जिला-चित्तौड़गाढ</p> |

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल बोळिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (प.अ.) प.अ. 1

तहसीलदार कपासन